

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर
वड़जलास - श्री मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 203/2018

अपीलान्ट्स
1 जयप्रकाश पुत्र बुधाराम (फौत) के
कायममुकामान
1/1 जानकी बेवा जयप्रकाश
1/2 हुक्माराम पुत्र जयप्रकाश
1/3 नाथी पुत्री जयप्रकाश
1/4 कृष्णा पुत्री जयप्रकाश
2रूपाराम पुत्र बुधाराम
जातियान कुम्हार निवासीगण मुण्डवा
तहसील मुण्डवा जिला नागौर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1रामपाल पुत्र अमराराम जाति कुम्हार निवासी पडासला खुर्द
तहसील बिलाडा जिला जोधपुर बहेसियत आम मुख्तियार -
1धर्माराम पुत्र हरीराम 2पूनकी पत्नी पूनाराम 3नेनाराम
4मुकेश 5वीराराम 6शरतरतन 7मनसुख 8परसारम पुत्रान
पूनाराम 9भवरी पत्नी संग्राम
10गोविन्दराम पुत्र संग्राम 11शारदा पुत्री संग्राम
सभी जाति कुम्हार निवासीगण मुण्डवा तहसील मुण्डवा।
2राधा देवी पुत्री हरीराम पत्नी किशनाराम पुत्र चेतन जाति
कुम्हार निवासी मुण्डवा हाल गांव ककू, तहसील नोखा
जिला बीकानेर।
3छोटी देवी पुत्री हरीराम पत्नी रामेश्वर पुत्र गोपाराम जाति
कुम्हार निवासी मुण्डवा हाल निवासी हरसोलाव तहसील
मेडता जिला नागौर।
4तहसीलदार मुण्डवा जिला नागौर।

उपस्थिति :-

1. श्री कन्हैयालाल सुथार अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री मधुर सिखवाल अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से।
3. श्री बाबू लाल भादू अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 की ओर से।
4. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 4 की ओर से।

निर्णय

[1]-अपीलान्ट्स ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, मुण्डवा द्वारा मौजा मुण्डवा के नामान्तरकरण सं. 3321 दिनांक 06.11.2017 स्वीकार करने के आदेश से असंतुष्ट होकर दिनांक 10.09.2018 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट्स की अपील दिनांक 17.09.2018 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से श्री मधुर सिखवाल अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 की ओर से श्री बाबू लाल भादू अधिवक्ता तथा रेस्पोडेन्ट सं. 4 की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलान्ट्स ने अपनी अपील के समर्थन में आदेश नामान्तरकरण सं. 3321 की फोटोप्रति, खतौनी की फोटोप्रति, जिला कलक्टर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति, न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.) नागौर में प्रस्तुत दावे की फोटोप्रति पेश की गई। अपील के विचाराधीन रहते हुए वकील श्री कन्हैयालाल सुथार ने एक प्रार्थना पत्र अधीन धारा 22 नियम 3 सीपीसी अपीलांट जयप्रकाश का निधन हो जाने से उनको कायममुकाम को पक्षकार जोड़े जाने बाबत दिनांक 18.12.21 पेश कर साथ ही इनके कायममुकाम का वकालतनामा पेश किया जिसपर वकील रेस्पोडेन्ट ने अनापति जाहिर की, जिससे रव. जयप्रकाश के कायम मुकाम जानकी बेवा जयप्रकाश, हुक्माराम पुत्र जयप्रकाश, नाथी पुत्री जयप्रकाश तथा कृष्णा पुत्री जयप्रकाश जातियान कुम्हार निवासीगण मुण्डवा तहसील मुण्डवा बतौर पक्षकार अपीलान्ट्स रिकॉर्ड पर लिया गया।

[2]-उभयपक्ष के वकूलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि दिनांक 13.08.18 को मनीराम पुत्र बीरमाराम जाट मुण्डवा ने बताया कि तुम्हारे बाबा सीताराम की जमीन का म्यूटेशन परसाराम को गोद पुत्र बताकर कर दिया है, जिस पर उसी दिन अपीलांट



अपर कलक्टर, नागौर

रूपाराम ने पत्रावली की जानकारी कर तहसीलदार मुण्डवा मे नकल की अर्जी की, तो फैसला की नकल दी गई, जबकि पूरी पत्रावली की नकल मांगी थी। शेष पत्रावली की नकले नही देने पर जिला कलक्टर नागौर को अर्जी दिनांक 20.08.18 को दी तथा दिनांक 21.08.18 को पटवारी से खतौनी की नकल ली, तो खतौनी की नकल देखने पर सर्वप्रथम जैर अपील की नकल के लिये दिनांक 04.09.18 को अर्जी पेश की, नकल दिनांक 05.09.18 को प्राप्त हुई। इस प्रकार म्यूटेशन जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 21.08.18 को हुई, ऐसी दशा मे अपील जानकारी से अंदर मियाद पेश की है। अपीलाधीन आदेश म्यूटेशन विधि विरुद्ध होने से समयावधि से बाधित नही है, ऐसी दशा मे भी अपील अंदर मियाद शुमार योग्य है। अपीलांट्स द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र के समर्थन मे शपथ पत्र तरदीकसुदा प्रस्तुत किया गया है। जो माकूल आधार पर प्रतीत होता है। अतः अपीलांट्स की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। अंतिम बहस शुरू करते हुए वकील अपीलांट्स ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि—

{2}(I)—म्यूटेशन जैर अपील तथ्यो व विधि विरुद्ध होने से अपास्त होने योग्य है।

{2}(II)—म्यूटेशन जैर अपील मे मृतक हरीराम, जेठी, पूनाराम, संग्राम के वारिसान के नाम म्यूटेशन भरा गया है, उक्त म्यूटेशन मे पूर्व मे खातेदारी मे किसी भी सह खातेदार का कोई हिस्सा खतौनी मे दर्ज नही रहा था, म्यूटेशन जैर अपील मे प्रत्येक खातेदार का हिस्सा तय करके स्वीकृत किया गया है, ऐसी हिस्साकसी किस आधार पर खोली गयी है तथा ऐसी हिस्सा तय करने का अधीनस्थ न्यायालय को कोई अधिकार नही था ऐसी दशा मे म्यूटेशन जैर अपील मे क्षेत्राधिकार से परे जाकर पक्षकारो का हिस्सा निर्धारित किया है, वह बिना अधिकार के होने से म्यूटेशन जैर अपील अपास्त होने योग्य है।

{2}(III)—म्यूटेशन जैर अपील से पहले से पक्षकारो के मध्य राजस्व वाद चल रहा है, जिसमे सभी मृतको के वारिसान रिकार्ड पर है, जो राजस्व वाद सं. (115/09) 156/16 सहायक कलक्टर मुख्यालय नागौर के न्यायालय मे लंबित है, ऐसी दशा मे हिस्साकसी दर्ज करके दौराने दावा किया गया। म्यूटेशन जैर अपील विधि विरुद्ध होने से अपास्त योग्य है।

{2}(IV)—म्यूटेशन जैर अपील जिस भूमि खसरा नं. 881, 882, 897, 2024 मौजा मुण्डवा का किया गया है, उसमे अपीलांटस भी सह खातेदार है तथा उनका हिस्साकसी भी इस म्यूटेशन जैर अपील के जरिये फेरबदल किया गया है तथा अपीलांटस को कोई नोटिस नही दिया, न ही अपीलांटस को सुनवाई का अवसर दिया, ऐसी दशा मे म्यूटेशन जैर अपील प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरुद्ध होने से अपास्त होने योग्य है।

{2}(V)—म्यूटेशन जैर अपील मे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पक्षकारो के हिस्साकसी बाबत कोई उचित आदेश भी नही रहा है, ऐसी दशा मे बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के किसी भी पक्षकार का खातेदारी मे हिस्सा तय करने का तहसीलदार को नही होते हुए भी म्यूटेशन जैर अपील मे राजस्व रेकर्ड मे हेराफेरी कर खातेदारो का हिस्सा तय किया है, जो विधि विरुद्ध होने से अपास्त होने योग्य है।

{2}(VI)—म्यूटेशन मे मृतक के स्थान पर उनके वारिसान की हद तक ही इन्द्राजात किया जाना तो म्यूटेशन का आदेश व स्वीकृत करना का ही कानून है, मगर म्यूटेशन जैर अपील मे इस अधिकार से परे जाकर जो भी हिस्साकसी का इन्द्राजात किया है वह बिना क्षेत्राधिकार व अधिकार के होने से अपास्त होने योग्य है तथा अपने कथन के समर्थन मे आरआरटी 2011 (2) पेज 907 से 912, आरआरटी 2009 (2) पेज 816 से 818 तथा आरआरडी 1994 पेज 77 से 79, आरआरटी 2012(2) पेज 1412 से 1417 व आरआरटी 2003(1) पेज 47 से 54 नजीरे पेश की।

{3}—रेस्पोजेन्ट के अधिवक्ता द्वारा बहस मे हिस्सा लेते हुए बताया कि —

{3}(I)—अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील विधि के प्रावधानो के विपरीत एवं बिना प्रावधान के तहत की गई है। क्योंकि नामान्तरकरण अपील जिला कलक्टर / अपर जिला कलक्टर के पास तहसीलदार द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण के विरुद्ध धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश की जाती है जबकि अपीलांटस द्वारा उपरोक्त अपील धारा 75 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई है जिसमे ऐसी अपील पेश करने का कोई प्रावधान नही है। इसलिये प्रथम दृष्टया अपीलांटस की अपील चलने योग्य नही होने से खारिज फरमायी जावे।

{3}(II)—अपीलाधीन नामान्तरकरण मे विवादित खसरा नं. 881, 882, 897, 2024 कुल रकबा 31 बीघा 2 बिस्वा जो अपीलांटस व दीगर रेस्पोजे. व अन्य की खातेदारी मे रहते चले आये है। उक्त खसरे नामान्तरकरण से


अपर कलक्टर, नागौर

पूर्व बुधाराम, सीताराम व हरीराम पिता गंगाराम की खातेदारी मे रहते चले आये थे तथा इस तरह की वंशावली राजस्व वाद सं. 115/09 सहायक कलक्टर एसडीओ नागौर तत्पश्चात सहायक कलक्टर मुख्यालय नागौर वाद सं. 156/16 जो धारा 53, 88, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत पेश किया जो अपीलांटस द्वारा पेश किया उस हिसाब से भी 1/3 हिस्सा सीताराम का, 1/3 हिस्सा बुधाराम व 1/3 हिस्सा हरीराम का तथा उसी हिसाब से बाद मे उपरोक्त व्यक्ति फोट होने पर विरासत मे फोटगी नामान्तरकरण के जरिये उनके वारिसान के नाम दर्ज हुई जो अपीलांटस व रेस्पों. है अपने हिस्से का उसी अनुसार वारिस से फोटगी नामान्तरकरण व विक्रय किये गये विक्रय पत्रों के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किया गया जो विधि सम्मत होने से अपीलांटस को उक्त नामान्तरकरण निरस्त करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होने से अपील खारिज की जावे।

{3}(III)—अपीलांटस द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत राजस्व वाद के जवाब मे अपीलांटस द्वारा प्रतिदावा खसरा नं. 881, 882, 897 मौजा मुण्डवा व खसरा नं. 4449 मौजा खेण मे संयुक्त खातेदारी होना बताकर 1/3 हिस्से के अनुसार वाद पेश कर अनुतोष चाहा जिस पर अपीलांटस की ओर से जबाबुल जवाब पेश किया जिसमे अपीलांटस द्वारा उक्त खसरा की भूमि को संयुक्त व पैतृक भूमि नहीं माना है तथा अलग अलग खातेदारी की भूमि व अलग अलग कब्जा काश्त की भूमि मानकर प्रतिवाद का जवाब पेश किया है ऐसी स्थिति मे अपीलांटस का वाद प्रतिवाद का जवाब व अपील मे तीन तरह का अभिवचन किया गया है। इसलिये अपीलांटस के अभिवचनो तथा अपील के आधारो पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। अपीलांटस अपने अपील का हित साधने की नीयत से दावा प्रतिदावा का जवाब के विपरीत कथन किये गये होने से अपीलांटस की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

{3}(IV)—म्यूटेशन जैर अपील हरीराम के फोट होने पर उनकी पत्नी जेठी पुत्र पूनाराम पुत्र संग्राम के नाम भरा गया व तहसीलदार द्वारा दिनांक 6.11.17 को स्वीकृत किया गया। फोटगी नामान्तरकरण भरने मे किसी प्रकार की कोई अन्य सहखातेदार को सूचना देना व उसको सुनना आवश्यक नहीं होता है तथा उनके वारिसो के नाम भरा जाता है जबकि अपीलांट इनका कोई वारिस नहीं है अन्य भाई का पुत्र है इसलिये अपीलांट को इस तरह की अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है।

{3}(V)—फोटगी नामान्तरकरण जो कि हरीराम के वारिसो के नाम भरा गया है वो उसके नाम के स्थान पर उनके वारिस प्रतिस्थापित हुए है उससे किसी अन्य सहखातेदार का कोई हिस्सा प्रभावित नहीं होता है न ही किसी विचाराधीन वाद मे इसका प्रभाव पड़ेगा इसलिये अपीलांट की अपील इस आधार पर चलने योग्य नहीं होने से खारिज की जावे।

{3}(VI)—फोटगी नामान्तरकरण या बेचाननामा के आधार पर भरा गया नामान्तरकरण उसी व्यक्ति के स्थान पर अन्य व्यक्ति प्रतिस्थापित होता है उसे किसी व्यक्ति का हिस्सा प्रभावित नहीं होता है न ही राजस्व रेकॉर्ड मे किसी प्रकार की कोई तब्दीली होती है तथा हिस्सा व खातेदारी घोषणा तथा बंटवाडे का वाद न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय मे विचाराधीन है जो अपीलांट का स्वीकार सुदा तथ्य है तथा हिस्सा तय करना बंटवाडा करना, खातेदारी घोषणा करना तमाम अनुतोष न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय द्वारा तय होगा तथा वाद विचाराधीन अपीलो से पहले चल रहा है ऐसी स्थिति मे अपील मे किसी प्रकार का आदेश पारित करना उचित नहीं है। क्योंकि अपीलांट ने अपना हिस्सा होना बताया है तथा ऐसा हिस्सा न्यायालय हाजा तय नहीं कर सकता है। अपील केवल समरी ट्रायल होती है। दौराने वाद अपील पेश की है। इसलिये उक्त अपील चलने योग्य नहीं है न ही दौराने वाद नामान्तरकरण अपील मे कोई आदेश पारित किया जाना राजस्व मंडल व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित प्रतिपादित सिद्धान्तो के विपरीत होने से अपील मे किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिये तथा अपील की सुनवायी रोक देनी चाहिये या उसको खारिज किये जाने का ही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। इस आधार पर अपीलांटस की अपील खारिज किये जाने योग्य है।


अपर कलक्टर, नागौर

{3}(VII)—अपीलांटस उपरोक्त नामान्तरकरण की अपीलो मे किसी प्रकार से हितबद्ध व हिस्सेदार व प्रभावित पक्षकार नहीं है। अपीलांटस ने धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश कर अपीले प्रस्तुत की है। जबकि धारा 96 के आधार पर मूल डिक्री की अपील पेश की जाती है। जबकि अपीलाधीन आदेश एक आदेश की श्रेणी मे आता है डिक्री की श्रेणी मे नहीं आता है। आदेशो के विरुद्ध अपील पेश करने के लिये 104 सीपीसी के तहत आवेदन पेश किया जाता है। उपरोक्त प्रावधान का विवेचन करने से स्पष्ट है कि अपीलांटस की अपील बिना कानून के बिना आधार के कानून विपरीत पेश की गई होने से चलने योग्य नहीं है। प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने योग्य है।

{3}(VIII)—अपीलांटस तीन भाई है। जयप्रकाश, रूपाराम व भंवरलाल पुत्रगण बुधाराम अपीलांटस अपने आपको अपीलाधीन आदेशो की खसरान की भूमि का हितबद्ध हिस्सेदार व प्रभावित पक्षकार मानकर अपील पेश की गई हैं जबकि अपने सगे भाई भंवरलाल को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अगर अपीलांटस इसमे हितबद्ध पक्षकार है तो उसका भाई भंवरलाल आवश्यक व हितबद्ध पक्षकार है उसको पक्षकार बनाने से आवश्यक पक्षकार को पक्षकार नहीं बनाने से अपीलांटस की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

{3}(IX)—अपीलाधीन आदेश मे प्रभावित खसरा नं. 881, 882, 897, 2024 कुल रकबा 31 बीघा 2 बिस्वा सरहद मुण्डवा मे 1/3 हिस्से का हिस्सेदार खातेदार सीताराम था जिसने बख्सीसनामा / दान पत्र के आधार पर अपना संपूर्ण हिस्सा दिनांक 16.1.78 को परसाराम के पक्ष मे लिखकर पंजीबद्ध करवा दिया था। जो अपील व दावे से पूर्व करवा दिया था तथा अपीलांटस ने कुचेष्टा पूर्वक सीताराम का हिस्सा हडपने की नियत से अपील पेश की तथा सीताराम द्वारा अपने जीवनकाल मे ही अपना संपूर्ण हिस्सा परसाराम के पक्ष मे दान/बख्सीस कर देने से इसमे अन्य किसी सहखातेदार व भाई बंधु का हिस्सा नहीं बनता है तथा उसके आधार पर उसने आगे बेचान कर नामान्तरकरण तस्दीक करवा दिया गया जिसमे विधि की किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं रही है। इसलिये भी अपीलांटस की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

{3}(X)—अपीलांटस ने अपील सं. 206/18 मे तहसीलदार मुण्डवा द्वारा प्रकरण सं. 30/18 कायम कर संबंधित पक्षकारो को सुना जाकर एवपं उनको नोटिस दिया जाकर सीताराम पुत्र पूनाराम के नाम जो नामान्तरकरण गोदनामा बाबत तस्दीक किया गया वो बाद जांच बाद सुनवायी, बाद साक्ष्य अपना आदेश पारित किया गया जो विधि अनुसार प्रक्रिया अपनाते हुए किया गया। जिसमे अपीलांटस का कोई हक हिस्सा प्रभावित नहीं होता है न ही वो उसमे आवश्यक पक्षकार था इसलिये उसको सुनवायी का अवसर दिया जाना उचित नहीं था अगर उक्त पत्रावली के आदेश से अपीलांटस व्यथित था तो उसकी अपील माननीय राजस्व मंडल अजमेर मे होती है ऐसी अपील नहीं की है। इसलिये उक्त पत्रावली के आदेश को आधार मानकर अपील पेश की गई जो क्षेत्राधिकार के बाहर होने से अपीलांटस की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

{3}(XI)—अपीलाधीन आदेश के तहत संबंधित गोदनामा, बख्सीसनामा दान पत्र विक्रय पत्र इत्यादि का अंकन करते हुए अपीलांटस ने अपील पेश की है तथा विक्रय पत्र के संबंध मे सुशीला बनाम परसाराम सिविल वाद सं. 130/18 सिविल जज नागौर व वाद सं. 188/18 मनीराम बनाम धर्माराम सिविल जज नागौर तथा राजस्व वाद सहायक कलक्टर मुख्यालय मे विचाराधीन है ऐसी स्थिति मे अपील मे किसी प्रकार का हिस्सा आधार व हक नहीं माना जा सकता है। अपील केवल मात्र फिस्कल प्रोसिडिंग है। जिसमे किसी प्रकार का साक्ष्य सबूत नहीं लिया जाता है तथा वाद विचाराधीन होने की स्थिति मे कानूनी रूप से अपील चलने योग्य नहीं है। इसलिये भी अपीलांटस की अपील खारिज की जावे।

{3}(XII)—अपील मे किसी प्रकार का आधार मानकर आदेश प्रदान किया जाता है तो वो वाद की बाहुल्यता बढेगी एव राजस्व न्यायालय व सिविल न्यायालय मे चल रहे वाद प्रभावित होंगे ऐसी स्थिति मे अपील को कानूनी प्रावधान उच्च न्यायालयो के सिद्धान्त के आधार पर चलना नहीं माना है तथा अपील मे निर्णय करने की बाध्यता के सिद्धान्त प्रतिपादित कर अपील को रोकने व अपास्त करने के सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। इस आधार पर भी अपील खारिज किये जाने योग्य है।


अपर कलक्टर, नागौर

{3}(XIII)-अपीलाटस द्वारा किसी भी विक्रय पत्र गोदनामा बख्सीसनामा इत्यादि को सक्षम न्यायालय में चैलेन्ज नहीं किया गया है इससे साफ जाहिर है कि अपीलाटस साफ हाथों से एवं स्वच्छ अपील पेश नहीं की गई है। केवल मात्र न्यायालय को गुमराह कर रेसपो. पर दबाव डालकर येनकेन प्रकारेण सीताराम का जो हिस्सा परसारांम को विधि अनुसार प्राप्त हुआ है उसको प्राप्त करने की कुचेष्टा की गई है इस आधार पर भी अपीलाटस की अपील खारिज किये जाने योग्य है।


{4}-वकील रेसपोडेन्ट संख्या 02 ने अपीलाटस की बहस का विरोध करते हुए अपनी बहस में बताया कि उक्त प्रकरण में अपीलान्टस का कोई हक, हिस्सा प्रभावित नहीं होता है। अपीलाट का हिस्सा तय करने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नहीं है।

{5}- राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस शुरू करते हुए तर्क दिया गया कि नामान्तरकरण जैर अपील विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए भरा गया है। जो विधिसम्मत होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{6}- उभयपक्ष के वकूलाय की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रिकर्ड का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। प्रकरण में मौजा मुण्डवा के नामान्तरकरण सं. 3321 दिनांक 06.11.2017 की स्वीकृति से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। नामान्तरकरण की कार्यवाही फिस्कल कार्यवाही है। जहां पक्षकारों के स्वत्व अधिकार निर्णीत नहीं किये जा सकते हैं। स्वत्व निर्धारण हेतु नियमित न्यायालय में चाराजोही की जानी चाहिये।

{7}- उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाटस की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{8}- निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(मोहन लाल खटनावलिया)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर, नागौर